किया है। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होने वाली समस्त कार्यवाही का ज्ञान था। इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण के अन्य कानूनी बिन्दुओ पर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड प्राप्त होने के पश्चात गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाना उचित समझते है। हाजा न्यायालय की पत्रावली में सलग्न में दस्तावेजो से प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। जिससे हस्तगत प्रकरण में किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित किया जाना उचित नहीं समझते है। अत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होकर पत्रावली दिनांक 25.07.2019 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

25/07/19

आज अधिवक्ता संघ द्वारा कार्य बहिष्कार किये जाने के फलस्वरूप न्यायालय में उपस्थित नहीं होगें। अतः पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी दिनांक 10/10/19 को पेश हो।

10/10/19

वकील उभयपक्ष उपस्थित। अपीलांट स्वंय ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह उक्त अपील को लोक भावना से आगे नहीं चलाना चाहते है। अतः अपील अपीलांट जरिये बिद्रोल खारिज फरमाई जावे। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। अतः अपीलांट के निवेदन पर अपील जरिये बिद्रोल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली